भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
निर्माण सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय /Directorate of Construction, Services & Estate Management
भर्ती अनुभाग / Recruitment section

विक्रम साराभाई भवन / Vikram Sarabhai Bhavan,
दूसरा तल, उत्तर स्कंध / 2nd floor, North Wing,
अणुशक्तिनगर / Anushaktinagar,
मुंबई / Mumbai 400 094

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (PwBD) के लिए समान अवसर नीति

EQUAL OPPORTUNITY POLICY FOR PERSONS WITH BENCHMARK DISABILITIES (PwBD) IN DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES & ESTATE MANAGEMENT

भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD अधिनियम) पारित किया है और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 को अधिसूचित किया है ताकि दिव्यांगजन अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (2006) में निहित सिद्धांतों को प्रभावी बनाया जा सके।

The Government of India has enacted the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPwD Act) and notified the Right of Persons with Disabilities Rules, 2017 to give effect to the principles enshrined in the United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities (2006).

RPwD नियम, 2017 के नियम 8 के अनुसार, प्रत्येक प्रतिष्ठान अपनी वेबसाइटों और अन्य प्रमुख स्थानों पर समान अवसर नीति प्रदर्शित करेगा। तदनुसार, निसेसंप्रनि में समान अवसर नीति (EOP) निम्नानुसार तैयार की जाती है:

In accordance with Rule 8 of RPwD Rules, 2017, every establishment shall display the Equal Opportunity Policy on its websites and other conspicuous places. Accordingly, the Equal Opportunity Policy (EOP) is hereby framed in DCSEM as follows:

2. कार्यक्षेत्र SCOPE:

इस निदेशालय का प्रयास है कि दिव्यांगजनों को कार्यस्थल पर समान अवसर प्राप्त हों और कार्यस्थल पर उनके कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन हेतु अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जाए। यह निदेशालय यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि दिव्यांगता के आधार पर किसी भी कर्मचारी को करियर में प्रगति या कार्य अवसर में किसी भी प्रकार का भेदभाव न सहना पड़े।

It is the endeavour of this Directorate to ensure that person with disabilities have the right to equal opportunity at workplace and ensure a conducive atmosphere at workplace in effectively discharging their duties. This Directorate will strive to ensure that no discrimination of any sort in career progression or working opportunity is faced by an employee on the grounds of disability.

यह निदेशालय एक सेवा संगठन होने के कारण, नीति के कार्यक्षेत्र में दिव्यांगजन आगंतुकों को भी शामिल किया गया है।

This Directorate being a service organisation, the scope of policy also includes PwBD visitors.

3. परिभाषाएँ DEFINITIONS:

नीति में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएँ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत निर्धारित होंगी। हालाँकि, नीति के अंतर्गत सरकारी प्रतिष्ठान और सार्वजनिक भवन की परिभाषा का दायरा उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जिन्हें सामरिक और सुरक्षा कारणों से परमाणु ऊर्जा अधिनियम के अंतर्गत "निषिद्ध क्षेत्र" घोषित किया गया है।

The definitions of terms used in the policy will be as prescribed under the Right of Persons with Disabilities Act, 2016 and the Right of Persons with Disabilities Rules, 2017. However, the scope of definition of Government Establishment and public building under the policy would not apply to areas which have been declared as "prohibited area" under the Atomic Energy Act due to strategic & safety reasons.

4. नीतिगत ढाँचा POLICY FRAMEWORK

इस नीति के अंतर्गत, निसेसंप्रनि निम्नलिखित प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है:

Under the ambit of this policy, DCSEM is committed to providing the following:

a.	यह सुनिश्चित करना कि कार्य क कुकएबका माहौल दिव्यांगजनों के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त हो और दिव्यांगजनों को केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी भी अवसर से वंचित न किया जाए। To ensure that the work environment is free from any discrimination against persons with disabilities, and that no opportunity is denied to persons with disabilities, only on the ground of the disability.
b.	भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार समय-समय पर जारी नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान करना। To provide reservation in appointments, as per Government of India instructions issued from time to time.
c.	पदोन्नति और अंतर-स्थानांतरण/पदस्थापन के दौरान दिव्यांगजनों के स्थानांतरण के अनुरोध पर, उनकी सेवाओं के इष्टतम उपयोग के लिए, यथासंभव सहयोगात्मक रूप से विचार करना। To supportively consider, to the extent possible, the request of persons with disabilities with respect to transfer during promotion and intra-transfer/ posting, for optimally utilising their services.
d.	दिव्यांगजनों द्वारा उपयुक्त सरकारी आवास के आबंटन के अनुरोध को, यथासंभव वरीयता देना। To give preference, to the extent possible, to the requests by persons with disabilities for allotment of appropriate residential Government accommodation.
e.	कर्मचारियों के लिए जागरूकता और संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करना। To initiate awareness and sensitization training programmes for employees.
f.	दिव्यांगजनों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को अवकाश देने के संबंध में सरकारी नियमों का पालन करना। To follow Government rules regarding leave to employees to meet specific requirement of disabilities.
g.	दिव्यांग कर्मचारियों को सरकारी नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य भत्ते प्रदान करना। To provide any allowances admissible under Government Rules to disabled employees.
h.	दिव्यांगजनों के लिए परिसर और कार्यालय स्थान को सुलभ बनाना, जब तक कि इसे परमाणु ऊर्जा अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित या निषिद्ध स्थान न माना जाए और इससे देश के सामरिक हितों के साथ समझौता न हो। To make premises and office space accessible to disabled persons unless it is deemed to be restricted or prohibited place under Atomic Energy Act and will compromise the strategic interest of the country.
i.	उचित शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराना To provide appropriate Grievance redressal mechanism
j.	इस नीति को विभाग की वेबसाइटों पर प्रमुखता से प्रदर्शित करके उचित प्रचार-प्रसार किया जाएगा। This Policy shall be given appropriate publicity by being displayed prominently on websites of the Department.

निसेसंप्रनि निम्नलिखित प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है:
DCSEM is committed to provide the following:

I. दिव्यांगजनों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और सुख-सुविधाएं
Facilities and amenities provided to PwBD

A. विक्रम साराभाई भवन में:
In Vikram Sarabhai Bhavan:

दिव्यांगजनों के लिए लिफ्ट लॉबी तक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को छोड़ने और लेने के लिए वाहनों की सुविधा उपलब्ध है, बशर्ते सुरक्षा मंजूरी/अनुमति हो।
Access to vehicles for the employees and family members for dropping and picking upto the lift lobby, is provided for PwBD subject to security clearance / permission.

बहुस्तरीय पार्किंग के भूतल पर दिव्यांगजनों के लिए वाहनों की पार्किंग निर्धारित है।
Parking of vehicles at ground floor of Multilevel parking is earmarked for PwBD.

निचले तल पर प्रवेश द्वार और प्रवेश द्वार पर रैंप उपलब्ध हैं।
Ramps are provided in entrance porch and entrance in the Lower ground floor.

भूतल पर लिफ्ट के प्रवेश लॉबी क्षेत्र के सामने फिसलन-रोधी टाइलें लगाई गई हैं।
Anti-skid tiles are provided in front of the lift entrance lobby area at ground floor.

भूतल पर दिव्यांगजनों के लिए सुलभ शौचालयों की व्यवस्था की गई है, जिनमें महिलाओं और पुरुषों के लिए एक-एक शौचालय है।
Provision is made for accessible toilets for PwBD in ground floor, one each for ladies and gents.

आवश्यकता पड़ने पर दिव्यांगजनों के लिए अतिरिक्त शौचालय की व्यवस्था की जाएगी।
Provision for additional toilet for PwBD will be made available, if necessary.

दिव्यांगजनों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा काउंटर के पास व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाएगी।
Wheel chair will be made available near Security Counter to ensure accessibility for PwBD.

सभी लिफ्टों में ऑडियो साइनेज उपलब्ध हैं।

Audio signage is available in all elevators.

B. अन्य सामान्य सेवा सुविधाएं Other common services facilities:

सभी नए भवनों में दिव्यांगजनों के अनुकूल व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी।
All new buildings will be provided with PwBD friendly arrangements.

कुछ मौजूदा भवनों में दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
Some of the existing buildings are provided with features for PwBD.

जहाँ भी संभव हो, अन्य मौजूदा भवनों में भी दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक सुविधाएँ उचित समय के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
It will be ensured to provide the required features for PwBD in other existing buildings wherever feasible within reasonable time.

II. **दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान और प्रतिष्ठान में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन का तरीका**

Identification of posts suitable for PwBDs and the manner for implementation of reservation for PwBDs in the Establishment

दिव्यांगजनों के लिए भरे जाने वाले पदों की सूची नीचे दी गई है।

List of posts identified for filling up with persons with disabilities are given below.

Sl. No.	Name of the post	Post identified as per DoPT OM dated 15.01.2018				
		a	b	c	d	e
1	Technical Officer (Civil)		HH	OL, OA, AAV,Dw		
2	Technical Officer (Architecture)		HH	OL, OA, AAV,Dw		
3	Technical Officer (Electrical)		HH	OL, OA, AAV,Dw		
4	Technical Officer (Mechanical)		HH	OL, OA, AAV,Dw		
5	Technical Officer (Computer)		HH	OL, OA, AAV,Dw		
6	Scientific Assistant (Electronics & Telecom)		HH	OL, OA, AAV,Dw		
7	Scientific Assistant (Electrical)		HH	OL, OA, AAV		
8	Scientific Assistant (Computer)		HH	OL, OA, AAV,Dw		
9	Scientific Assistant (Mechanical)		HH	OL, OA, AAV,Dw		
10	Scientific Assistant (Horticulture)	LV	HH	OL, OA, AAV,Dw		
11	Scientific Assistant (Civil)	LV	HH	OL, OA, AAV,Dw		
12	Scientific Assistant (Architecture)		HH	OL, OA, AAV,Dw		
13	Senior Translation Officer		HH	OL, BL, LC, Dw, AAV		
14	Junior Translation Officer		HH	OL, BL, LC, Dw, AAV		
15	Assistant	LV	HH	OA, OL, BL, OAL, LC, Dw, AAV		
16	Assistant Accountant	LV	HH	OA, OL, BL, OAL, LC, Dw, AAV		

17	Stenographer Grade-I			OL, BL, LC, Dw, AAV		
18	Senior Clerk	LV	HH	OA, OL, BL, OAL, LC, Dw, AAV		
19	Technician (Mechanical)	LV	HH	OL, AAV		
20	Technician (Electronics)		HH	OL, AAV		
21	Technician (Electrical)		HH	OL, AAV, LC, Dw		
22	Technician (Air-conditioning mechanic/ Fitter /Turner/Computer)		HH	OL, AAV		
23	Technician (Civil)	LV	HH	OA, OL, AAV		
24	Technician (Plumber/ Mason/ Carpenter)	LV	HH	AAV, Dw	ASD, SLD, MI	
25	Technician (Painter)		HH	AAV, Dw	ASD, SLD, MI	
26	Technician (Draughtsman (Architecture))		HH	OL, AAV, Dw		
27	Technician (Draughtsman (Civil / Mechanical))		HH	OL, AAV, Dw	ASD, SLD, MI	
28	Stenographer Grade D			OL, BL, LC, Dw, AAV		
29	Upper Division Clerk	LV	HH	OA, OL, BL, OAL, LC, Dw, AAV		
30	Work Assistant	LV	HH	OL, OA	ASD, SLD, MI, ID	Multiple disabilities
31	Canteen Attendant		HH		ASD, SLD, MI, ID	

Abbreviations:	
Disability type	Disability
a	
B	Blind
LV	Low Vision
b	
D	Deaf
HH	Hard of Hearing
c	
OA	One Arm affected

OL	One Leg affected
BA	Both Arms affected
BL	Both Legs affected
OAL	One Arm and One Leg affected
BLOA	Both leg & one arm affected
BLA	Both Legs Arms
CP	Cerebral Palsy
LC	Leprosy Cured
Dw	Dwarfism
MDy	Muscular Dystrophy
AAV	Acid Attack Victims
SD	Spinal Deformity (SD) without any associated neurological/limb dysfunction
SI	Spinal Injury (SI) without any associated neurological/limb dysfunction
d	
ASD	Autism Spectrum Disorder (M=Mild, Mod= Moderate)
ID	Intellectual Disability
SLD	Specific Learning Disability
MI	Mental Illness
e	
MD	Multiple Disabilities (Including Deaf Blindness)

III. विभिन्न पदों के लिए दिव्यांगजनों के चयन में उचित समायोजन

Reasonable accommodation in the selection of PwBDs for various posts

इस निदेशालय में प्रारंभिक नियुक्ति के समय आवेदन पत्रों और भरे जाने वाले प्रपत्रों में दिव्यांगजनों से संबंधित श्रेणी और उप-श्रेणी का कॉलम शामिल है।
The category and sub-category column related to PwBD is included in application forms and the forms to be filled at the time of initial appointment in this Directorate.

भर्ती प्रक्रिया के दौरान, दिव्यांगजनों को बाधारहित और अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए पर्याप्त ध्यान रखा जाएगा।
During the recruitment process, adequate care will be taken to provide barrier free and conducive environment to PwBD candidates.

परीक्षा के लिए प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है।
Additional time of 20 minutes per hour is provided for exams.

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान किया जाता है।
Reservation in appointments are provided, as per Government of India instructions issued from time to time.

इन उम्मीदवारों को अधिमानतः उनकी पसंद और रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार तैनात किया जाता है।
These candidates are preferably posted as per their choices and availability of vacancies.

किसी भी व्यक्ति को केवल दिव्यांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा।
No person is denied promotion merely on the ground of disability.

सेवा के दौरान किसी भी व्यक्ति को केवल विकलांगता के आधार पर पद से हटाया या उससे निम्न पद पर नहीं रखा जाएगा।

No person is dispensed with or reduced in rank solely on the basis of disability acquired while in service.

IV. रोजगार संबंधी प्रशिक्षण सुविधा

Employment related training facility

दिव्यांगजनों के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा:

The following training will be imparted for PwBDs:

प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्य कर्मचारियों के साथ प्रदान किया जाएगा।

Induction Training Programme is imparted together with the other employees.

दिव्यांग कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भर्ती के बाद नौकरी-विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

Employees with disability will be provided job specific post-recruitment training keeping in view their distinct needs.

दिव्यांग कर्मचारी को किसी पद का कार्यभार ग्रहण करने पर कम से कम एक महीने के लिए किसी अनुभवी कर्मचारी के साथ रखा जाएगा। इससे उन्हें नौकरी के लिए आवश्यक कौशल और व्यक्तिगत मामलों में आवश्यक अनुकूलन सीखने में मदद मिलेगी।

The employee with disability shall be placed with an experienced employee for at least one month on assuming responsibility of a post. This enables him/her to pick up skills required to perform the job and also the adaptations that may be required in individual cases.

ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए बजट आवश्यकताओं का उचित प्रावधान किया जाएगा।

The budget requirements for undertaking such training programmes shall be suitably provisioned.

V. पदोन्नति Promotions

वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों को छोड़कर, दिव्यांगजनों की पदोन्नति के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेशों और समय-समय पर किए गए संशोधनों का पालन किया जाएगा।

The orders issued by the DoPT and the amendments made from time to time shall be followed for promotion of PwBD except for Scientific and Technical posts.

दिव्यांग वैज्ञानिक एवं तकनीकी व्यक्तियों के लिए, टीसी एवं टीएससी, बीएआरसी द्वारा जारी योग्यता पदोन्नति योजना लागू होगी।

For Scientific and Technical persons with disability, Merit Promotion Scheme issued by TC&TSC, BARC is applicable.

VI. स्थानांतरण और तैनाती में वरीयता

Preference in transfer and posting

प्रशासनिक बाध्यताओं के अधीन स्थानांतरण और तैनाती के स्थान पर वरीयता पर विचार किया जाएगा।

Transfer and preference in place of posting will be considered subject to administrative constraints.

जहाँ तक संभव हो, दिव्यांग कर्मचारियों के मामले में चक्रीय स्थानांतरण लागू नहीं किया जाएगा।

As far as possible, rotational transfer will not be effected in the case of employees with disability.

VII. **विशेष अवकाश, आवासीय आवास के आबंटन में वरीयता (यदि कोई हो) और अन्य सुविधाएं**
Special leave, preference in allotment of residential accommodation if any and other facilities

दिव्यांगजनों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कर्मचारियों को अवकाश प्रदान करने के सरकारी नियमों का पालन किया जा रहा है।
Government rules regarding leave to employees to meet specific requirement of disabilities, are being followed.
केंद्र सरकार के दिव्यांग कर्मचारियों के लिए, उनकी दिव्यांगता से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए, एक कैलेंडर वर्ष में 4 दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किया गया है।
A provision of Special Casual Leave for 4 days in a calendar year has been made for the employees of Central Government with disabilities for specific requirements relating to disabilities of the official.

दिव्यांगजनों को सामान्य दर से दोगुना परिवहन भत्ता दिया जा रहा है।
Transport allowance at double the normal rate is being paid to PwBD.

एलटीसी का लाभ उठाते समय, दिव्यांगजनों को अपनी/किराए की टैक्सी के उपयोग की अनुमति है। एलटीसी का लाभ उठाते समय एक अनुरक्षक की भी अनुमति है।
While availing LTC, use of owned / hired taxi is permitted for PwBD. Also an escort while availing LTC is permitted.

महिला दिव्यांग कर्मचारी के मामले में, बच्चे के जन्म से लेकर उसके 2 वर्ष का होने तक, बच्चे की देखभाल के लिए विशेष भत्ता दिया जा रहा है।
In case of female disabled employee, Special Allowance for child care from the child birth till the child becomes 02 years old, is being paid.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.03.2014 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए तैनाती स्थल के निकट सुलभ आवास उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है, निसेसंप्रनि ऐसे व्यक्तियों को अनुरोध/आवश्यकता के अनुसार, भूतल पर आवास/लिफ्ट सुविधा सहित फ्लैट आबंटित कर रहा है।
In accordance with the DoPT Office Memorandum dated 31.03.2014, which emphasizes providing accessible accommodation near the place of posting for persons with disabilities, DCSEM is allotting ground floor accommodations / flat with lift facility to such individuals, as per request/requirement.

जहाँ भी संभव हो, माँग के आधार पर मौजूदा पुराने भवनों के प्रवेश द्वार पर रैंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
Ramps are being provided at the entrance of existing old buildings based on the demand wherever feasible.

विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सुगम्यता बढ़ाने हेतु फ्लैटों/भवनों को संशोधित किया जा रहा है।
Flats / buildings are being modified to enhance accessibility to ensure hindrance free movement for persons with disability.

VIII. **सहायक उपकरणों, बाधा-मुक्त पहुंच के प्रावधान**
Provisions for assistive devices, barrier-free accessibility

निसेसंप्रनि वेबसाइट (https://www.dcsem.gov.in/) पर निम्नलिखित सुलभता सुविधाएँ लागू की गई हैं।
The following accessibility features have been implemented on the DCSEM website (https://www.dcsem.gov.in/).

टेक्स्ट साइज़ मैग्निफायर: Text Size Magnifier:
उपयोगकर्ता टेक्स्ट साइज़ मैग्निफायर सुविधा का उपयोग करके सभी वेबपृष्ठों पर बेहतर पठन अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। बेहतर पठनीयता के लिए फ़ॉन्ट आकार को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए तीन समर्पित बटन दिए गए हैं:

Users can achieve better reading experience across all webpages using the Text Size Magnifier feature. Three dedicated buttons are provided to dynamically adjust font size for enhanced readability:

फ़ॉन्ट वृद्धि - वर्तमान पृष्ठ पर फ़ॉन्ट आकार को बड़ा करता है
Font Increase – Enlarges the font size on the current page

फ़ॉन्ट कमी - वर्तमान पृष्ठ पर फ़ॉन्ट आकार को छोटा करता है
Font Decrease – Shrinks the font size on the current page

सामान्य फ़ॉन्ट - टेक्स्ट आकार को वेबसाइट के डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार में पुनर्स्थापित करता है
Normal Font – Restores the text size to the website's default font size

इन सुविधाओं के आइकन वेबपृष्ठों के शीर्ष पर स्थित हैं
Icons for these features are located at top of web-pages

स्क्रीन रीडर क्षमता: वेबसाइट को सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले तृतीय-पक्ष स्क्रीन रीडर टूल के साथ संगत बनाने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा।
Screen Reader Capability: The website will be modified suitably to become compatible with commonly used third-party screen reader tools.

IX. प्रतिष्ठान द्वारा संपर्क अधिकारी की नियुक्ति
Appointment of Liaison officer by the Establishment

उप सचिव या समकक्ष (स्तर 12) से नीचे के पद के अधिकारी को दिव्यांगजनों के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
The officer not below the rank of Deputy Secretary or equivalent (Level 12) will be appointed as Liaison Officer for PwBD.

श्री एस.एस. गोंडाणे, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निसेसंप्रनि , वर्तमान में कार्यालय ज्ञापन संख्या निसेसंप्रनि /ए/9(28)/भर्ती/खंड-III/275 दिनांक 28.04.2023 के अनुसार संपर्क अधिकारी नियुक्त हैं।
Shri S.S.Gondane, Chief Administrative Officer, DCSEM, is presently appointed as Liaison Officer, vide Office Memorandum No. DCSEM/A/9(28)/Rectt./Vol-III/275 dated 28.04.2023.
संपर्क विवरण: Contact details: 022 – 2548 7224 / 6419 7224
ईमेल आईडी: E-mail ID: cao@dcsem.gov.in

X. शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) Grievance Redressal Mechanism (GRM)

निसेसंप्रनि में 19 मार्च 2024 को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निसेसंप्रनि की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों के सदस्यों सहित जीआरएम की स्थापना की गई और दिव्यांगजनों की शिकायतों का उचित समय-सीमा के भीतर निवारण करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा दिनांक 02 फरवरी 2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/44/2023-ईएसटीटी(आरईएस-II) के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 19 मार्च 2025 को इसका पुनर्गठन किया गया।
GRM is set up in DCSEM on 19th March 2024 headed by Chief Administrative Officer, DCSEM with member of PwBD and further reconstituted on 19 March 2025 as per the guidelines issued by DoPT / Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions vide OM No. 36035/44/2023-ESTT(RES-II) dated 02nd February 2024 to redress the grievances with PwBD within a reasonable time frame.

दिव्यांगजनों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए भर्ती अनुभाग में शिकायत रजिस्टर रखा गया है।
Grievance register is maintained in Recruitment section for recording the grievance of PwBD employees.

सभी शिकायतों का पंजीकरण के एक महीने के भीतर निपटारा किया जाएगा।
All the grievances / complaints will be attended and disposed of within one month of its registration.

XI. संवेदीकरण Sensitisation

सभी कर्मचारियों और प्रबंधकों (विशेषकर बिना विकलांगता वाले लोगों) को विकलांगता से संबंधित मुद्दों पर शिक्षित करने और भेदभाव को रोकने के लिए समय-समय पर संवेदीकरण प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे।
Sensitization trainings and awareness drives shall be organized periodically to educate all employees and managers (especially for those without disabilities), on issues regarding disability and to prevent discrimination.

XII. देखभाल करने वालों के लिए आवास Accommodations for caregivers

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेशों और समय-समय पर जारी संशोधनों के अनुसार, निम्नलिखित सुविधा प्रदान की जाती है:
In accordance with the orders issued by DoPT and amendment issued from time to time, the following facility is provided :

कोई सरकारी कर्मचारी, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(आर) के अंतर्गत परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति के रूप में प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित, निर्दिष्ट दिव्यांगता से ग्रस्त आश्रित पुत्री/पुत्र/माता-पिता/पति/पत्नी/भाई/बहन की देखभाल करता है, उसे प्रशासनिक बाध्यताओं के अधीन स्थानांतरण/चक्रानुक्रमिक स्थानांतरण की नियमित प्रक्रिया से छूट दी जाएगी।
A Government employee who is a care-giver of dependent daughter / son / parents / spouse / brother / sister with Specified Disability, as certified by the certifying authority as a Person with Benchmark Disabilities as defined under Section 2(r) of the Right of Persons with Disabilities Act, 2016 will be exempted from the routine exercise of transfer/rotational transfer subject to the administrative constraints.

यदि किसी कर्मचारी का बच्चा दिव्यांग है, तो उसे सामान्य दर से दोगुनी दर पर बाल शिक्षा भत्ता दिया जा रहा है।
In case of an employee having disabled child, Children Education Allowance at double the normal rate is being paid.

यदि दिव्यांग बच्चा छात्रावास सुविधा वाले आवासीय विद्यालय में पढ़ रहा है, तो उसे सामान्य दर से दोगुनी दर पर छात्रावास अनुदान दिया जा रहा है।
In case of disabled child studying in residential school with hostel facility, hostel subsidy at double the normal rate is being paid.

XIII. ईओपी से संबंधित प्रक्रियाएं Procedures pertaining to the EOP

समान अवसर नीति (ईओपी) में दिव्यांगजनों को प्रदान किए जाने वाले अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस निदेशालय की कार्यप्रणाली की जानकारी शामिल है।
The Equal Opportunity Policy (EOP) contains information on the practices of this Directorate to build awareness about the opportunities provided to PwBDs.

इस निदेशालय में इसके कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त लाभों या आने वाली समस्याओं का आकलन करने के लिए, वर्ष में कम से कम एक बार, इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।
This Policy will be reviewed periodically to assess the benefits derived or the problems faced during its implementation in this Directorate, at least once in a year.

आवश्यकता पड़ने पर, निदेशक, निसेसंप्रनि के अनुमोदन से नीति में संशोधन किया जाएगा।
The policy will be amended, as and when need arises, with the approval of Director, DCSEM.